89/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
21.9.2023	वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 उपस्थित। वकील वादीगण की ओर से फेहरिस्त मय दस्तावेज अन्तरी पेश की गई, जो शपथ मिसल हैं। वकील वादीगण की ओर से प्रकरण में No-Dikhsan कीया गया है और प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण को आगे चलाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि वादीगण वकील द्वारा प्रकरण में नो-डिक्शन कीया गया है। लिहाजा वादीगण का वाद नो-डिक्शन में खारिज किया जाता है। फायली पोकल कुमार होम दाखिल दफ्तर हो।

No Dikhsan
Plaintiff
Ms Priyanka
Advocate
Satya Ram
Singh) Ch
21.09.23

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verifi
Digitally signed by Rajes
Date: 2023.10.25 19:20:
Reason: SelfAttested